

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर

क्रमांक- पीए/कनिउ/2018/67

दिनांक- 23-5-18

-: आदेश :-

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानांतरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	साहिल पेमावत कनि0 सहायक	सीएचसी पीपाड शहर, जोधपुर	कार्या0 अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	रिक्त पद पर
2.	सरोज कुमारी महिला स्वा. कार्यकर्ता	निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2018/642 दिनांक 12.07.2018 के क्रम संख्या 542 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निरवाना खण्ड सूरतगढ गंगानगर से उपकेन्द्र मन्नीवाली खण्ड सादुलशहर गंगानगर में स्थानांतरणधीन है	उपकेन्द्र मानेवाला, सादकवाला खण्ड सूरतगढ गंगानगर	सरोज कुमारी के स्थान पर
3.	सरोज कुमारी महिला स्वा. कार्यकर्ता	उपकेन्द्र मानेवाला, सादकवाला खण्ड सूरतगढ गंगानगर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निरवाना खण्ड सूरतगढ गंगानगर	सरोज कुमारी के स्थान पर
4.	सर्वजीत कौर महिला स्वा. कार्यकर्ता	निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2018/642 दिनांक 12.07.2018 के क्रम संख्या 543 द्वारा उपकेन्द्र मन्नीवाली खण्ड सादुलशहर गंगानगर से सीएचसी निरवाना खण्ड सूरतगढ गंगानगर किया गया स्थानांतरण निरस्त किया जाता है। यह यथावत उपकेन्द्र मन्नीवाली मे कार्यरत रहेंगी।		
5.	रेखा विश्नोई महिला स्वा. कार्यकर्ता	निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2018/642 दिनांक 12.07.2018 के क्रम संख्या 99 द्वारा रिवेम्पिंग स्कीम भीलवाड़ा से पीएचसी बरुन्दनी मांडलगढ भीलवाड़ा किये गये स्थानांतरण में संशोधन कर ई.एस.आई डिस्पेन्सरी नं. 1 भीलवाड़ा में सिल्वी एम.एम. के स्थान पर लगाया जाता है।		
6.	सिल्वी एम.एम. महिला स्वा. कार्यकर्ता	ई.एस.आई डिस्पेन्सरी नं. 1 भीलवाड़ा से रिवेम्पिंग स्कीम भीलवाड़ा में रेख विश्नोई के स्थान पर किया जाता है।		

- संविदा/रिवर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अंतर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानांतरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- कैंसर केयर कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों के स्थानांतरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- यदि कोई कार्मिक नर्स श्रेणी से नर्स प्रथम के पद पर पदोन्नत हो गये है तो उन कार्मिकों के स्थानांतरण की क्रियान्विति नहीं की जावे।
- मा0 न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिकों के स्थानांतरण की क्रियान्विति निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जावे।
- कर्मचारी का स्थानांतरण भूलवश दो बार होने की स्थिति में प्रथम बार किये गये स्थानांतरण की क्रियान्विति की जावे।

6. ऐसे संस्थान जहां एक ही पद स्वीकृत हैं। यदि वहां एक के अधिक कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाता है तो पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी को कार्यग्रहण करावें। इसके पश्चात् उसी स्थान के लिये आने वाले कर्मचारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में निदेशालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यवाही की जावें।
7. यदि कार्मिक का स्थानांतरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं है, तो कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
8. रिक्त पद पर किये गये स्थानांतरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
9. अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किये गये स्थानांतरण पर यदि कार्मिक की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र हेतु हुई है अथवा कार्मिक का अनुसूचित क्षेत्र में कार्य हेतु विकल्प पत्र का सेवा पुस्तिका/सेवाभिलेख में इन्द्राज हो, तो उनके आदेश की क्रियान्विति नहीं होगी।
10. उक्त आदेश हेतु ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर की सहमति प्राप्त है।
उपरोक्त शर्तों (1 से 9) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक- 23-9-18

क्रमांक- जीए/अभिय/2018/67

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज०, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग, राज०, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महो०, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज०, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज०, जयपुर।
6. निदेशक, ई.एस.आई. जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, सम्बन्धित जोन।
8. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. सम्बन्धित अधीक्षक नवीन मेडिकल कॉलेज।
10. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
11. सम्बन्धित चिकि० अधिकारी प्रभारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को तत्काल विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
13. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर